

प्रारूप "ख"

देखिये नियम 9(3)(4)(6)

कार्यालय उपखण्ड का अधिकारी, आसपुर जिला डूंगरपुर(राज0)

संपरिवर्तन आदेश

श्री सनराईज शिक्षण संस्थान आसपुर संचालनकर्ता सचिव विजयसिंह पिता किशोरसिंह शक्तावत निवासी आसपुर तथा श्रीमती रीनाकुंवर पत्नि रणजीतसिंह सिसोदिया नि. नान्दली अहाडा तहसील साबला 26/103 हि.ब. तथा सनराईज शिक्षण संस्था आसपुर 77/103 तहसील आसपुर के आवेदन पर तहसीलदार आसपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थियों को उसकी खातेदारी अभिधृति मे आधारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि से अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(3)(4)(6) के अधीन सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संस्थान) के लिए एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :-

1-आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम -श्री सनराईज शिक्षण संस्थान आसपुर संचालनकर्ता सचिव विजयसिंह पिता किशोरसिंह शक्तावत निवासी आसपुर,श्रीमती रीनाकुंवर पत्नि रणजीत सिंह सिसोदिया नि.नान्दली अहाडा तहसील साबला ,सनराईज शिक्षण संस्थान आसपुर तहसील आसपुर
पिता/पति का नाम सहित -

2-क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है:-नहीं

3-संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:-

(क)	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम
	टोंकवासा	टोंकवासा	आसपुर

(ख) भूमि खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा क्षेत्रफल-
खसरा नम्बर कुल रकबा

1933/1,1934/1,1935,1959/1 कमशः1.12;1.00,0.17,1.14 कुल 5.03 बीघा

(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर मे)-

खसरा नम्बर	रकबा	अर्थात्
1933/1,1934/1,1935,1959/1	कमशः1.09,0.17,0.17,1.12	कुल 4.15 बीघा 7695 वर्गमीटर

टिप्पणी:-अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन की भूमि को दर्शाते हुए

राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति-

4-संपरिवर्तन का प्रयोजन : सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संस्थान)

5-संदेय प्रीमियम की दर: 5/- प्रति वर्गमीटर

6-चालान की संख्या तथा तारीख से चा0नं0232..... दि0 25.01.2017 रू0 41715/

जमा कराई गई प्रीमियम की रकम - जी.आर.एन. 0014849381 दिनांक 25.01.2017

7-चालान की संख्या तारीख सहित यदि कोई शास्ति हो

चा0नं0 दि0 रू0

8-चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो-

9-क्या आवेदक विनियमितकरण के लिए नियम 12 क के अधीन जारी किया - नहीं

10-अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो -प्रस्तावित भूमि पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से 1/2 कि.मी. एवं ग्रामीण सड़क से 50 फीट की दूरी पर स्थित है।

छायाप्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा:-

8. आवेदक द्वारा इण्डियन रोड कांग्रेस के मानदण्डों अनुसार राज्य मार्ग से 40 मीटर ग्रामीण सड़क से 15 मीटर दूरी छोड़कर निर्माण किया जावेगा।
9. आवेदक को राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (6) राज-6/92 पार्ट-23 दिनांक 17.07.2007 की पालना करनी होगी।
10. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावे।
11. यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन सम्पहत हो जायेगा।
12. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
13. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का प्रयोग किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
14. आवेदक को राजस्व विभाग की अधिसूचना गुप (6) क्रमांक प.फ.6(26)2014/33 दिनांक 06.10.2016 की पालना तथा निर्माण में वाटर हार्वेटिंग सिस्टम एवं आवेदन के साथ संलग्न नक्शा (प्लान) अनुसार नियमों की पालना करनी होगी।

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर

क्रमांक/राजस्व/भू0रू0/2017/1161-1165

दिनांक:-10/05/2017

7. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर।
8. तहसीलदार, आसपुर।
9. पटवारी, पटवार हल्का टोकवास को पालनार्थ।
10. सरपंच, ग्राम पंचायत टोकवास।
11. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील आसपुर।

12. श्री सनराईज शिक्षण संस्था, आसपुर, संचालनकर्ता सुचिव, विजयसिंह पिता किशोरसिंह शक्तावत, निवासी आसपुर, श्रीमती रीनाकुंवर पत्नि रणजीतसिंह सिसोदिया निवासी नान्दली अहाडा तहसील साबल, सनराईज शिक्षण संस्था, आसपुर तहसील आसपुर



उपखण्ड अधिकारी
आसपुर

03
24/1/25
27/1/25
08
30/1/25

ख्याप्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर



प्रारूप "ख"

देखिये नियम 9(3)(4)(6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आसपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान
संपरिवर्तन आदेश

सनराईज शिक्षण संस्थान आसपुर संचालनकर्ता अध्यक्ष श्रीमती रीनाकुंवर पत्नि रणजीतसिंह सिसोदिया निवासी नान्दली अहाडा तहसील साबला जिला डूंगरपुर (राजस्थान) के आवेदन पर तहसीलदार आसपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को उसकी खातेदारी अभिधृति में आधारित मौजा खेडाआसपुर त.आसपुर स्थित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(3)(4)(6) व संशोधित नियम 2016 के परिपत्र व अधिसूचनाओं के अधीन सांस्थानिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ के लिये एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:-

1. आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम- सनराईज शिक्षण संस्थान आसपुर संचालनकर्ता
अध्यक्ष श्रीमती रीना कुंवर पत्नि रणजीतसिंह
सिसोदिया निवासी नान्दली अहाडा तहसील साबला डूंगरपुर
- 2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है- नहीं
- 3- संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:-

(क) ग्राम ग्राम पंचायत तहसील का नाम

खेडाआसपुर

खेडाआसपुर

आसपुर

(ख) भूमि खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा क्षेत्रफल-

खसरा नम्बर

रकबा

कुल रकबा

295

0.1780 है.

0.1718 है.

(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)-

खसरा नम्बर

रकबा

अर्थात्

295

0.1618 है.

कुल 0.1618 है. अर्थात् 1618 व.मी.

टिप्पणी:- अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन की भूमि को दशांति हुए राजस्व नक्शो के सुसंगत भाग सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति-

4- संपरिवर्तन प्रयोजन :

संस्थागत (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ

5-संदेय प्रीमियम की दर :

5/- प्रति वर्गमीटर/डीएलसी का 10 प्र.

6- चालान की संख्या तथा तारीख से

चा.नं.दिनांक 25.11.20 रु.67593/-

जमा कराई गयी प्रीमियम की रकम -

जीआरएन 44929288 दिनांक 25.11.2020

7-चालान की संख्या तारीख सहित यदि

कोई शास्ति हो

चा.नं.....दि.....रु.....

8-चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो-

9-क्या आवेदक विनियमितकरण के लिये नियम 12 क के अधीन जारी किया - नहीं

10-अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो- प्रस्तावित भूमि पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है।

छायाप्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर



उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा:-

1. आवेदक द्वारा इण्डियन रोड कांग्रेस के मानदण्डों अनुसार सडक सीमा छोडकर निर्माण किया जावेगा।
2. आवेदक को राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज-6/92 पार्ट-23 दिनांक 17.07.2007 की पालना करनी होगी। एवं समय समय पर जारी परीपत्रों/अधिसूचनाओं की पालना करनी होगी।
3. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावे।
4. यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन सम्पहृत हो जायेगा।
5. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
6. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का प्रयोग किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. आवेदक को राजस्व विभाग की अधिसूचना ग्रुप (6) क्रमांक प.फ.6(26)2014/33 दिनांक 06.10.2016 की पालना तथा निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं आवेदन के साथ संलग्न नक्शा (प्लान) अनुसार नियमों की पालना करनी होगी।
8. आवेदक को प्रदुषण नियन्त्रण मंडल से सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर

क्रमांक/राजस्व/भूरू./2020/6032-6038

दिनांक:- 23/12/2020

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर।
2. तहसीलदार आसपुर।
3. पटवारी, पटवार हल्का खेडाआसपुर को पालनार्थ।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत खेडाआसपुर।
5. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील आसपुर।
6. श्री सनराईज शिक्षण संस्थान आसपुर संचालनकर्ता अध्यक्ष श्रीमती रीनाकुंवर पत्नि रणजीतसिंह सिसोदिया निवासी नान्दली अहाडा तहसील साबला।

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर



छायाप्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर

20/11/25

कार्यालय पटवार मण्डल रोक्वासा तहसील आसपुर

यह प्रमाणित किया जाता है कि मोंजा रोक्वासा पं.म. रोक्वासा में जमा. सन्वत् 2074-77 में 14 दिनांक 14.12.22 से पूर्व खाता सं. 136 में ख.नं. 1933/1, 1934/1, 1935, 1953/1 रकबा कुमशः 0.2589, 0.2570, 0.1375, 0.2751 हे० खातेदार सनराजिण विभाजन संस्थान आसपुर 2/3 सनराजिण विभाजन संस्थान आसपुर संचालनकर्ता सचिव विजयसिंह पुत्र किशोरसिंह ब्राह्मण सा. इन्दौर सदस्या श्रीमति वीणाकुंवर पत्नी वज्रजीतसिंह 2/3 हत्तोक पत्नी स्व० द्विजी 1/3 खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड था।

उक्त भूमि का नामां. सं. 1187/14.12.22 विभाजन, नामां. सं. 1362/24.2.23 समीप तथा नामां. सं. 1376/13.6.23 रुपान्तरकरण से उक्त भूमि का वर्तमान ख.नं. 1935, 2579/1933, 2583/2564, 2586/2581 रकबा कुमशः 0.1375, 0.2346, 0.1375, 0.0971 हे० में परिवर्तित हुआ।

अतः वर्तमान जमाबंदी अनुसार ख.नं. 1935, 2579/1933, 2583/2564 व 2586/2581 पठा जावे।

04/12/22
 प. रोक्वासा
 मण्डल 25
 पटवार मण्डल
 त. आसपुर जि. डूंगरपुर (राज.)